09.09.2019

परिवादी श्री दिलबहार सिंह, सेवानिवृत्त वरीय सहायक प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम, भागलपुर, आज सुनवाई की तिथि की जानकारी रहने के बावजूद भी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हैं।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम, भागलपुर (जिसे बाद में निगम में रूप में संबोधित किया जा रहा है) की ओर से जिला प्रबंधक, गुलाब हुसैन, उपस्थित हैं।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार की ओर से वांछित प्रतिवेदन दाखिल किया गया है।

प्रस्तुत मामला परिवादी के दिनांक 31.01.2012 को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम, भागलपुर के वरीय सहायक प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्ति के उपरांत उनके उपादान व अव्यवहृत अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

निगम के जिला प्रबंधक द्वारा सूचित किया गया है कि परिवादी श्री दिलबहार सिंह, दिनांक 27.08.2001 से दिनांक 01.09. 2005 तक निगम के वरीय सहायक प्रबंधक, के पद पर पदास्थापित थे। पुनः वह दिनांक 21.07.2009 से अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि (31.01.2012) तक निगम के वरीय सहायक प्रबंधक, के पद पर पदस्थापित रहे। भागलपुर में उनके पदस्थापन अवधि में परिवादी द्वारा 29,23,340 रुपये की अग्रिम राशि की निकासी की गयी थी जिसका समायोजन उनके द्वारा नहीं कराया गया है। उक्त के संबंध में जांचोपरांत यह पाया गया कि परिवादी द्वारा सामंजन हेतु जो कागजात दिया गया था वे सभी गलत व जाली है। परिवादी के उपरोक्त आपराधिक कृत्य को लेकर निगम के जिला प्रबंधक द्वारा अपने पत्रांक 1557, दिनांक 04.09.2019 द्वारा परिवादी के विरूद्ध सरकारी राशि के गबन करने के संबंध में थानाध्यक्ष जोगसर थाना, भागलपुर को प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान हेतु लिखित आवेदन दिया गया। जिला प्रबंधक का यह भी कथन है कि अपने सेवाकाल में परिवादी द्वारा लिये

गये अग्रिम का समायोजन नहीं करने के कारण निगम का 4202265.64/–रुपये का गबन किया गया है। जिला प्रबंधक द्वारा बताया गया कि परिवादी को मिलने वाले उपादान व उपार्जित अवकाश के बदले भुगतान होने वाले समतुल्य राशि का समायोजन करने के उपरांत निगम का कुल दो करोड़ बहत्तर लाख छियहत्तर हजार एक सौ चौरासी रुपये चौंसठ पैसे वसूलनीय है, जिसके संबंध में परिवादी को नोटिस भी दिया गया है तथा नोटिस के बाद उपरोक्त राशि की वसूली हेतु परिवादी के विरूद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई निगम द्वारा की जायेगी।

जिला प्रबंधक का कथन है कि परिवादी को नियमित रूप से उनके पेंशन का भुगतान किया जा रहा है साथ ही साथ अन्य सेवांत लाभों का भुगतान परिवादी को कर दिया गया है।

जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम, भागलपुर के उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रस्तुत मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>